हेराफेरी ▶ जांच में पता चला व्यापारिक गतिविधियां हो रहीं थीं संचालित

नगर निगम की जमीन को बिना अनमुति कर दिया दान

24 घंटे के अंदर पेश करें वैधानिक दस्तावेज : सहायक आयुक्त

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम के स्वामित्व की जमीन को निगम की बिना अनुमति के दान करने का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि इस जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रहीं थीं। जानकारी के अनुसुार नगर निगम लीज प्लाट क्रमांक 51, राइट आउन एक्सटेंशन, क्षेत्रफल - 25047 वर्गफुट पर पट्टेधारी डॉ. महेश कुमार श्रीवास्तव पिता स्व. डॉ. भैया लाल श्रीवास्तव, हेमलता श्रीवास्तव पति डॉ. महेश कुमार श्रीवास्तव एवं रचित श्रीवास्तव पिता डॉ. महेश कुमार श्रीवास्तव का नाम दर्ज है।

इस प्रकरण की वास्तविकता जानने और समझने के संबंध में निगमायुक्त रामपकाश अहिरवार के निर्देश पर सहायक आयुक्त शिवांगी महाजन के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। जहां पर पाया गया कि उक्त भूखण्ड पट्टेधारी द्वारा नगर निगम के स्वामित्व की भूमि को निगम की बिना अनुमति के दान कर दिया गया है एवं उक्त भूखण्ड पर मौके पर बिना अनुमति व्यापारिक उपयोग की गतिविधियाँ की जा रहीं है।

सहायक आयुक्त शिवांगी महाजन ने बताया कि पट्टेधारी द्वारा वर्ष 2020-21 से लीज भू-भाड़ा जमा नहीं किया गया है। पट्टेधारी द्वारा लीज शर्त क्रमांक 3, 6, 7 एवं 8 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि नगर निगम के पास शर्त क्रमांक 6 के तहत् पुनः प्रवेश का अधिकार सुरक्षित है।

श्रीमती महाजन ने संबंधितों को सूचना के माध्यम से जानकारी दी है कि 24 घंटे के अंदर वैधानिक दस्तावेज/जानकारियां नगर निगम के सम्पदा शाखा में प्रस्तुत करें अन्यथा निगम की ओर से वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इस आशय की जानकारी की सूचना चस्पा भी कराई गयी है।

कुर्की नोटिस के बाद करदाता ने जमा किए 50 हजार

संभाग क्रमांक 6, 13 और 14 में भी हुई कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। संभाग क्रमांक 13 में स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड के करदाता मोइनुद्दीन जनाब मोहम्मद निजामुद्दीन पर 1 लाख 17 हजार 9 सौ 96 रूपये संपत्ति कर की बकाया राशि होने पर कुर्की की कार्यवाही के दौरान 50 हजार रूपये नगद जमा किए गए एवं शेष राशि मार्च में जमा करने का आश्वासन दिया।

इसी प्रकार संभाग क्रमांक 14 चितरंजन वार्ड के अंतर्गत साबिर खान पिता - जाकिर खान पता 122 अहमद नगर पर बकाया राशि 1 लाख 45 हजार 8 सौ 29 रूपये होने पर कुर्की की कार्यवाही करते हुए 3 दिन के अंदर राशि जमा करने नोटिस चस्पा किया गया।

इनकी संपत्तियों पर चस्पा किए गए नोटिस

इसी प्रकार संभाग क्रमांक 6 के अंतर्गत गोविन्द वल्लभ पंत वार्ड में भवन स्वामी गंगा बाई पति मोतीलाल पर बकाया राशि 5 लाख 62 हजार 3 सौ 31 रूपये, चंदा बाई पति राज बहादुर पहारिया पर बकाया राशि 3 लाख 85 हजार 6 सौ 55 रूपये एवं राजाराम पुरूषोत्तम रंगलाल पर बकाया राशि 3 लाख 48 हजार 3 सौ 23 रूपये होने पर कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किये गए। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे कुर्की जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए समय पर अपना समस्त बकाया टैक्स जमा करें। कार्यवाही के समय राजस्व अधिकारी आनंद मिश्रा, संभागीय अधिकारी सुदीप पटेल एवं राजस्व निरीक्षक मन्नू पटेल, नंदन पटैल, वार्ड कर संग्रहिता विजय विश्वकर्मा, प्रतीक यादव, नोटिस सर्वर एवं स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड में राजस्व निरीक्षक नंदकिशोर पटेल सहायक राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र एवं संभागीय टीम सहित निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

रुंधे गले-कांपते हाथ और आँसुओं में डूबी अपनों की अंतिम विदाई

राजस्थान से सुबह पहुंचे पांच शव, चीत्कार, सिसकियों के बीच हर आँख हुई नम

नवभारत, जबलपुर। कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन अपनों के बिछड़ने का गम ताउम्र साथ रहता है। राजस्थान में हुए सड़क हादसे ने ऐसा ही जख्म जबलपुर के पांच परिवारों को दिया है। बरसों का साथ, हँसते-खेलते पल और घर की रौनक, सब कुछ अब यादों के झरोखे में सिमट गया है। अपनों को अंतिम विदाई दी गई, तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आँखें नम थीं। वह मंजर बेहद हृदयविदारक था जब परिवार के सदस्यों ने रुंधे गले और कांपते हाथों से अपने प्रिय को अंतिम प्रणाम किया। नजारा कुछ ऐसा ही था, जहाँ हर तरफ सिसकियाँ और एक भारी खामोशी पसरी हुई थी।

दरअसल राजस्थान से जब अपनों के पार्थिव शरीर लेकर परिजन आज सुबह जब शहर पहुंचे तो मृतकों के परिजन बेसुध थे। परिजन शवों से लिपटकर रोते बिलखते रहे। जिनका दर्द देखकर रहवासियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। पार्थिव देह को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया तो वहाँ मौजूद हर इंसान के कलेजे को चीर कर रख दिया।

विदित हो कि तीन जिगरी यार समेत पांच लोग जबलपुर से उज्जैन घूमने गए थे वहां से अचानक खाटू श्याम जाते समय उनकी कार राजस्थान के चाकसू में शनिवार सुबह पांच बजे कोटा-जयपुर नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गई थी। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मदर टेरेसा कटंगी रोड निवासी अनुराग रजक (24), पीयूष राय (26), राहुल रजक जिगरी यार थे। कार अनुराग चला था। दोस्तों के साथ रेशमा श्रीवास्तव (55) निवासी नक्षत्र नगर एवं उनका मुंहबोला भतीजा शानू सुकलवारे (25) सदन निवासी भी साथ में था। उनकी कार जयपुर की ओर से जैसे ही चाकसू में टिगरिया मोड़ के पास पहुंची थी तभी वहां खड़े एक ट्रेलर से उनकी टक्कर हो गई थी। हादसे में पांचों की मौत हो गई थी। धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान रेशमा श्रीवास्तव ने ही बनाया था। 12 फरवरी को सभी लोग कार से उज्जैन पहुंचे थे वहां श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए थे इसके बाद 13 फरवरी की रात वे खाटू श्यामजी के लिए रवाना हुए थे जो उनका अंतिम सफर रहा। रविवार को उनके शवों को एक साथ एक ही एसी एम्बुलेंस में रखकर सोमवार सुबह जबलपुर लाया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया।

झंडा चढ़ाते समय पेड़ से गिरे युवक की मौत

शिवरात्रि उत्सव के दौरान मातम

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा पत्थर इलाके में शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिर के पास झंडा चढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ा एक 28 वर्षीय युवक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। त्यौहार के दिन हुई घटना से पूरे बड़ा पत्थर क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

जानकारी के अनुसार रविवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बड़ा पत्थर शराब दुकान के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। दोपहर करीब 3:00 बजे, बड़ा पत्थर निवासी अर्जुन चौधरी (28) मंदिर के समीप लगे पीपल के पेड़ पर झंडा बांधने के लिए चढ़ा था। झंडा बांधने के दौरान अचानक अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा। सिर में गंभीर चोट आने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा घायल अर्जुन को तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल रांझी ले जाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा कंधीलाल चौधरी (45 वर्ष) ने रविवार देर रात थाना रांझी में घटना की सूचना दी। रांझी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

सहायक शिक्षक के निलंबन पर अंतरिम रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सहायक शिक्षक के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश भी दिये हैं। याचिकाकर्ता शहडोल निवासी चंद्रकला सिंह की ओर से दलील दी कि याचिकाकर्ता पर आरोप है, उसने उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके द्वारा उसे अधीक्षक, कन्या शाला परिसर सोहागपुर (कंचनपुर) जिला शहडोल का प्रभार सौंपा गया था। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को उक्त आदेश तामील नहीं हुआ और इस बात के लिए प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। विभाग ने नौ जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।

स्कॉर्पियो ने दो मोटरसाइकिलों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

नवभारत, जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत गुरु पिपरिया वेयरहाउस के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ।

जानकारी के अनुसार सचिन परधान निवासी रौंझा मझौली स्थित एफकान्स कंपनी में जेसीबी ऑपरेटर है। वह अपने साथी कर्मचारियों अक्षय कुमार मेहता और अजीत मंडल के साथ चाय पीकर दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों से घर जा रहे थे। अजीत मंडल अपनी बाइक क्रमांक एमपी 20 जेड के 4458 पर अक्षय को बिठाकर ले जा रहा था, जबकि सचिन अपनी बाइक एमपी 20 एनजे 2128 से पीछे था। जैसे ही वे गुरु पिपरिया वेयरहाउस के पास पहुंचे, सामने से आ रही स्कॉर्पियो एमपी 20 सी ई 1039 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक किया और रॉन्ग साइड में आकर अजीत की बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो सचिन की बाइक से भी जा टकराई। हादसे के बाद राहगीरों और सचिन ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को शासकीय अस्पताल पाटन पहुँचाया। वहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद 26 वर्षीय अजीत मंडल निवासी ग्राम बांसघाट, अरवल, बिहार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अक्षय कुमार मेहता के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर फरार स्कॉर्पियो चालक की तलाश शुरू कर दी है।

अनियंत्रित हुई बाइक, गिरने से राजमिस्त्री की मौत

शहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम भमकी निवासी राजमिस्त्री की बाइक अनियंत्रित हो गई। गिरने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रदीप गोटिया राजमिस्त्री था। भमकी गांव के ही पूरन चौधरी के साथ मोटरसाइकिल से काम पर गया था। पूरन चौधरी के बेटे करण ने मृतक के भाई अजय गोटिया को सूचना दी कि विमल धर्मकांटा के सामने प्रदीप मोटरसाइकिल से गिर गया है और बेहोश पड़ा है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहाँ प्रदीप अचेत अवस्था में मिला। सड़क पर ही पूरन चौधरी और उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एम एस 2518 भी मौजूद थी घायल प्रदीप को तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल शहपुरा ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक तौर पर मौत का कारण मोटरसाइकिल से गिरने के कारण आई गंभीर चोटें बताया जा रहा है।

फोन मांगकर खाते से उड़ाए 7 .80 लाख, ऑनलाइन गेम में हारे

विश्वासघात : एफआईआर दर्ज साथी कर्मचारी हुआ गिरफ्तार

नवभारत, जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी और विश्वासघात कर एक कर्मचारी ने अपने ही साथी का भरोसा तोड़कर उसके बैंक खातों से करीब पौने आठ लाख रुपये पार कर दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने साथी से फोन मांगकर खाते से रकम निकाल ऑनलाइन गेम में हार गया था। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार छपरा सिहोरा निवासी 42 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा, खितौला स्थित वाटर फिल्टर प्लांट में माली के पद पर कार्यरत हैं। वहीं उनके साथ मझगवां निवासी 35 वर्षीय आशीष कोल पंप ऑपरेटर के रूप में काम करता था। आरोपी आशीष अक्सर बातचीत करने के बहाने उनसे उनका मोबाइल मांग लिया करता था।

बैंक पहुँचने पर खुला राज

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब लक्ष्मी प्रसाद को अपनी भांजी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। जब वे बैंक पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक अधिकारियों ने बताया कि उनके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते से 6,87,999 रूपए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 92,000 (कुल 7,79,999) रूपये फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। यह ट्रांजेक्शन 3 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 के बीच किए गए थे।

ऑनलाइन गेम की लत ने बनाया अपराधी

शिकायत के बाद खितौला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी आशीष कोल को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह फोन मांगकर गुप्त रूप से लक्ष्मी प्रसाद के खातों से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करता था। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने चोरी की यह पूरी रकम ऑनलाइन गेम में हार दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

हाईकोर्ट ने अपर आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने अपर आयुक्त सागर संभाग के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता ग्राम रानीपुर तहसील चंदला जिला छतरपुर निवासी लोटन साहू की ओर से अधिवक्ता शंभू दयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आबादी की भूमि पर अपीलार्थी का पैतृक मकान है। वह उसमें परिवार सहित निवासरत है। उसे भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया है। इसके बावजूद द्वेष रखने वाले पड़ोसियों ने भूमि से बेदखली का आदेश पारित करा लिया।

रिटायर्ड प्राध्यापकों को ग्रेच्युटी और 7 वें वेतनमान के अनुसार दे पेंशन

हाईकोर्ट ने विटनरी विवि को दिये निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को भी पूरी ग्रेच्युटी और सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को डीसीआरजी (ग्रेच्युटी) की शेष 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान करें तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उनकी पेंशन पुनः निर्धारित कर भुगतान सुनिश्चित करें।

जबलपुर निवासी डॉ. एमएलवी राव की ओर से याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय शंकर रायजादा एवं अमित रायजादा ने बताया कि राज्य शासन के परिपत्रों के अनुसार याचिकाकर्ता को अधिकतम 20 लाख रुपये की डीसीआरजी (ग्रेच्युटी) राशि का लाभ दिया जाना चाहिए थे। उन्हें केवल ग्रेच्युटी के रूप में 10 लाख रुपये एवं छटवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन दी जा रही है।

उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश विश्वविद्यालयों पर लागू की जा चुकी हैं, इसलिए विवि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी एवं संशोधित पेंशन का लाभ दिया जाना अनिवार्य है।

विद्युत मंडल के कागजात जंगल में मिले

लोगों ने अधिकारियों को सौंपे

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर स्थित विद्युत मंडल के महत्वपूर्ण कागजात सोमवार दोपहर एक बजे के लगभग शक्ति भवन के समीप लगे जंगल में कचरा समझकर फेंक दिए गए। लोगों ने देखा तो कागजात उठाकर अधिकारियों के पास पहुंच गए। जिन्होने उक्त कागजात को सहेजकर रखवा दिया है। यह साजिश है या फिर गल्ती से फेंक दिए। यह अब जांच का विषय बन गया है। खबर है कि पावर जनरेटिंग कंपनी के सिविल परियोजना से जुड़े ये दस्तावेज हैं। जिसका ऑफिस वर्ष 2000 में बंद हो गया है। सोमवार को नयागांव से ऑटो में पुराने दस्तावेज शक्ति भवन लाए जा रहे थे। उसी दौरान कागजात गिरे हैं। नयागांव के पास रहने वाले कुछ लोग जब गुजर रहे थे तो देखा कि रोड से थोड़ी दूर जंगल में कुछ दस्तावेज पड़े हुए हैं। करीब जाकर देखा तो उसमें पॉल्यूशन एंड इकोलॉजी कंट्रोल सर्विसेज कुछ दस्तावेजों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रामपुर जबलपुर की थी। ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड ड्राइंग मैन्युअल की भी इसमें कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। लोगों ने इन्हें बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर सौंपा है।

विभाग की लापरवाही

लोगों का कहना है कि ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे कचरा समझकर फेंक दिया है। अगर ये दस्तावेज खराब हो चुके हैं तो उसे शासन को नष्ट कर देना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि ये दस्तावेज किसी के हाथ लग जाते तो निश्चत रूप से अहित हो सकता था। मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि महानदी डैम से लेकर कई अहम दस्तावेज है। यह मध्यप्रदेश विद्युत विभाग की लापरवाही है। उनकी अनदेखी के कारण यह घटना हुई है।

ई-केवायसी ना कराने वालों के पंजीकरण होंगे निरस्त

जबलपुर। सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों ने ई-केवायसी नहीं कराया है, उन्हें एक माह की समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से ई-केवायसी पूर्ण कराना होगा। सहायक श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में ई-केवायसी पूर्ण न कराने की स्थिति में संबंधित निर्माण श्रमिकों का पंजीयन निरस्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके विरुद्ध कोई अपील मान्य नहीं की जाएगी।

बारहवीं के 506 विद्यार्थियों ने दी संस्कृत की परीक्षा

35 केंद्रों में हुआ पेपर, नहीं बना कोई नकल प्रकरण

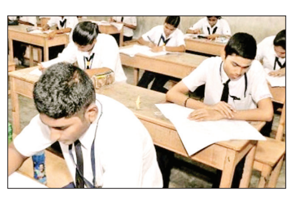

नवभारत, जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में सोमवार को बारहवीं कक्षा में संस्कृत विषय लेने वाले विद्यार्थियों का पेपर था, जिसमें 506 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी। सहायक संचालक आर के बधान से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को हायर सेकंडरी में संस्कृत विषय का पेपर आयोजित हुआ। यह परीक्षा जिले के 35 केंद्रों में आयोजित हुई, जिसमें 511 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे लेकिन 506 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित थे जबकि 5 विद्यार्थी परीक्षा से अनुपस्थित थे। बोर्ड परीक्षा को लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा अनुभाग स्तर, जिला स्तर तथा विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दलों (फ्लाइंग स्क्वाड) का गठन किया है। वहीं, जिले में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया है। परीक्षा वाले दिन टीम ने सभी केंद्रों में पहुंचकर आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया और संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों की जांच भी की। लेकिन कोई भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया।

दसवीं में आज अंग्रेजी का पेपर

एमपी बोर्ड की दसवीं की परीक्षा भी निरंतर जारी है जिसमें आज 17 फरवरी को अंग्रेजी विषय का पेपर है यह पेपर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए लगभग 100 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिसमें दसवीं कक्षा के लगभग 23 हजार 928 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57